न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)

मु.न. 104 / 2024

1. पतासी पुत्री सुजानाराम जाति नायक निवासी मेहरी तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
2. शारदा पुत्री सुजानाराम जाति नायक निवासी मेहरी तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
3. देवकरण पुत्र सुजानाराम जाति नायक निवासी मेहरी तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
4. विनोद पुत्री सुजानाराम जाति नायक निवासी मेहरी तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
5. सुभाष पुत्र सुजानाराम जाति नायक निवासी मेहरी तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
6. संतोष पुत्री सुजानाराम जाति नायक निवासी मेहरी तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
7. मंजू पुत्री सुजानाराम जाति नायक निवासी मेहरी तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
8. सुमन पुत्री सुजानाराम जाति नायक निवासी मेहरी तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
9. इन्द्राज पुत्र सुजानाराम जाति नायक निवासी मेहरी तहसील सरदारशहर जिला चूरू।

— प्रार्थीगण —

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

— अप्रार्थी —

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

दिनांक 25/7/24

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के पिता नाम कृषि भूमि रोही मौजा गलगटी के खसरा सं. 6 तादादी 1.9473 हेक्ट., खसरा सं. 93 तादादी 3.1360 हैक्ट. कुल तादादी 5.0833 हैक्ट. हैं। जिसमें प्रार्थीगण के पिता का नाम सुगनाराम पुत्र डालूराम अंकित है जो गलत है, जबकि प्रार्थीगण के पिता का नाम सुजानाराम पुत्र डालूराम सही हैं। प्रार्थीगण के आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीगण के पिता का नाम सुजानाराम पुत्र डालूराम है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थीगण को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब प्रार्थीगण जमाबन्दी में अपना पिता का नाम दुरूस्त करवाने चाहते है। जमाबन्दी में अपने पिता का नाम दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थीगण ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना प्रत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा गलगटी के खसरा सं. 6 तादादी 1.9473 हेक्ट., खसरा सं. 93 तादादी 3.1360 हैक्ट. कुल तादादी 5.0833 हैक्ट. में प्रार्थीगण के पिता का नाम सुजानाराम पुत्र डालूराम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष दियें प्रार्थना पत्र में आई प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार तारानगर के अनुसार प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम दुरूस्त करवाने चाहते है। अब प्रार्थीगण अपने पिता के आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण के पिता का नाम सुगनाराम पुत्र डालूराम की जगह सुजानाराम पुत्र डालूराम करवाने चाहते है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम सुगनाराम पुत्र डालूराम ही दर्ज है। अतः प्रार्थीगण के पिता का नाम सुगनाराम पुत्र डालूराम की जगह सुजानाराम पुत्र डालूराम दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र से प्रार्थीगण के पिता का दस्तावेजीय नाम सुजानाराम पुत्र डालूराम पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा गलगटी के खसरा सं. 6 तादादी 1.9473 हेक्ट., खसरा सं. 93 तादादी 3.1360 हैक्ट. कुल तादादी 5.0833 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि प्रार्थीगण के पिता का नाम सुगनाराम पुत्र डालूराम Delete कर इसके स्थान पर सुजानाराम पुत्र डालूराम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25/7/24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सूर्यकान्त शर्मा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)